

स० स० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक,  
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,  
अंसारीनगर, नई दिल्ली। 110029

पटना, दिनांक ... ..

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मनोहर कुमार कामती पिता- राम सजीवन कामती ग्राम+पो0- श्रीपुर गाहर थाना- खानपुर जिला- समस्तीपुर यूएचआईडी न0- 104706676	Post Transplant	60,000	साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	पनव अग्रहरी (Panav Agrahari) माता- चिन्मयी झा पिता- आशिष कुमार ग्राम- जी 04 आर एस अपार्टमेंट जमाल रोड एकजवीशन रोड पो0- जीपीओ थाना- गांधी मैदान जिला- पटना यूएचआईडी न0- 107968560	कैंसर रोग	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			2,60,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,60,000/- (दो लाख साठ हजार) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता स०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक स० 002556 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स० 10874588593,

खाता धारक का नाम— AIIMS PATIENT TREATMENT ACCOUNT खाते का प्रकार—  
चालू, बैंक का नाम—एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम—अंसारी नगर, नई दिल्ली  
(01536),RTGS/IFSC कोड सं0—SBIN 0001536 मे अतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाज


ह0/-  
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)  
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 116(14)

पटना, दिनांक 16/11/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0.002556. की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाता धारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी सबधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख



स० स० 14 / एम 11-01 / 2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक  
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,  
असारीनगर, नई दिल्ली। 110029

पटना, दिनांक . .....

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 09.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	कुलदीप सिंह बिष्ट पिता- चन्द्र सिंह बिष्ट ग्राम- पुनाईचक पोस्ट ऑफिस गली पो०+थाना- शास्त्रीनगर जिला- पटना यूएचआईडी न०- 107898927	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि 1,00,000/- (एक लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002556 .....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०- CA 10874584292, खाता धारक का नाम- DR. BRAIRCH PATIENT TREATMENT ACCOUNT खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त “बिहार लोक माग वसुली अधिनियम” के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 16/11/2026

ज्ञापाक 117(14)

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002556 .की कुल राशि का अन्तरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे ) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/.एम 11-01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक,  
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,  
असारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक ... ..

विषय— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 09.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	उषा किरण पति— महेश राय ग्राम— मगरदही पो०— समस्तीपुर थाना— नगर जिला— समस्तीपुर यूएचआईडी न०— 108621210	Brain Intervention	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002156..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० — 10874584010, खाता धारक का नाम— निदेशक, अ० भा० आ० सं०, खाते का प्रकार— चालु, बैंक का नाम—एस० बी० आई०, शाखा का नाम—अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं०—SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त “बिहार लोक माग वसुली अधिनियम” के तहत वसूल कर लिया जाय।
- यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना

आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 16/1/2026

ज्ञापक 118(14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०...002556 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे ) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख  
16/1/26

स0 स0 14 / एम 11-01 / 2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक  
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,  
असारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक . .

विषय— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।  
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	जमील अहमद पिता— बसीर अहमद ग्राम— पुनाईचक पोस्ट ऑफिस रोड पो0+थाना— शास्त्रीनगर जिला— पटना यूएचआईडी न0— 106844195	हृदय रोग पेसमेकर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000 /—(एक लाख) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” खाता स0— 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक स0 002556 .... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0— 10874584269, खाता धारक का नाम—“AIIMS ANGIOGRAPHY PATIENT’S ACCOUNT” खाते का प्रकार— चालू, बैंक का नाम—एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम—अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536) ,RTGS/IFSC कोड स0—SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त “बिहार लोक माग वसुली अधिनियम” के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना

आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 119 (14)

पटना, दिनांक 16/1/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002556 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ सभी संबंधित मरीजो /आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/.एम 11-01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक/अधीक्षक  
इंस्टीच्युट आफ लीवर एंड  
बायलेरी साइंस, वंसतकुंज, डी०-1  
नई दिल्ली 110070

पटना, दिनांक... ..

विषय- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.01.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अनिल कुमार सिन्हा पिता- स्व० लाला प्रसाद ग्राम- करिगापुर पो०- इटौरा थाना- मानपुर जिला- नालदा	NAFLD	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			50,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 50,000/- (पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002576 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50100143852078 खाता धारक का नाम-"इंस्टीच्युट आफ लीवर & बायलेरी साइंस" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एच०डी०एफ०सी० बैंक, शाखा का नाम-Site No-2,OCF pocket, sector C, Vasant Kunj. New Delhi-110070, ब्रांच, RTGS/ IFSC कोड सं० HDFC0000273 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से

वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 120(14)

पटना, दिनांक 16/11/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 0.02556 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

सं० स० 14/एम 11-01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
स्कार्ट हार्ट इंस्टीच्युट एंड रिसर्च सेंटर लि०  
ओखला रोड,  
नई दिल्ली 110025

पटना, दिनांक . . . . .

विषय.— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शगुपता परवीन पति—मो० फेजुल हक शकील ग्राम—इस्लामिया मोहल्ला वार्ड 12, पोस्ट—गोपालगज थाना+जिला—गोपालगज	Spine Surgery	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।
			<b>₹ 1,80,000</b>	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,80,000/—(एक लाख अस्सी हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० *P.025.56* द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 006-297816-001, खाता धारक का नाम— स्कार्ट हार्ट इंस्टीच्युट एंड रिसर्च सेंटर लि०, खाते का प्रकार— चालू, बैंक का नाम The Hong Kong and Shanghai Banking Corporatic शाखा का नाम— Mumbai RTGS/IFSC कोड सं०—HSBC 0400002 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है।

प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन  
ह०/-


(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)  
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 121(14)

पटना, दिनांक 16/1/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002556 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे ) सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक  
मैक्स सुपर स्पेशलीटी अस्पताल,  
108-ए इन्द्र प्रस्थ एक्सटेंशन  
पतपरगंज दिल्ली-110092

पटना, दिनांक. ....

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 09.01.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	दिलशाद अली पिता- कौसर अली ग्राम+पो0- रेवतीथ थाना- बैकुण्ठपुर जिला- गोपालगंज	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
			₹ 3,00,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000/- (तीन लाख) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002556 .. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 201003913025, खाता धारक का नाम- Balaji Medical And Diagnostic Research Centre, खाते का प्रकार- Cash Credit Account, बैंक का नाम Indusind Bank Limited शाखा का नाम- Dr. Gopal Das Bhawan, 28, Barakhamba Road, New Delhi - 110001, RTGS/IFSC कोड सं०- INDB0000005 में अंतरित किया जाता है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

5. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
8. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख।

ज्ञापांक 122(14)

पटना, दिनांक 16/11/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०.. 002576 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

स० स० 14 / .एम 11-01 / 2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक  
Medanta Hospital,  
Sector-A, Pocket 1,  
Shushant Golf City, Amar Shaheed Path,  
Lucknow - 226030

पटना, दिनांक . . . . .

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” के प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.01.2026 की बैठक में नर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में।
1	2	3	4	5
1	सावित्री देवी पति- सुभाष राय ग्राम- हकीमपुर पो०- सुकरवलिया थाना- ईटाढी जिला- बक्सर	स्पाईन सर्जरी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
2	उमेश कुमार सिंह पिता- सीता राम सिंह ग्राम- चानकी गढ पो०- सैदपुर थाना- शिकारपुर जिला- पश्चिम चम्पारण	Posterior Fossa Decompression	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			2,50,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) रू० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 802556.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 41120248418, खाता धारक का नाम- Global Health Limited, खाते का प्रकार- , बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम-, RTGS/IFSC कोड सं०- SBIN0004298 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० श्रीमती) रेखा झा

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 123 (14)

पटना, दिनांक 16/11/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002556 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीज के सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,  
सजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान सस्थान,  
राय बरेली रोड, लखनऊ, -226014

पटना, दिनांक . . . . .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 09.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	आनंद कुमार पाडेय पिता- ब्रज किशोर पाडेय ग्राम+पो०- जईछपरा थाना- माझी जिला- सारण सीआर न०- 2011763762	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	कार्तिक यादव पिता- विकास यादव ग्राम+पो०- जोकियारी थाना- रक्सौल जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न०- 20251204610	Bladder Exfrophy Repair	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	कुमारी वर्षा पिता- राज कुमार रजक ग्राम- खपरमडा टोला बुधन पो०- मुगिया थाना- टडवा जिला- औरंगाबाद सीआर न०- 2017379408	Non narjeric neujeric bladder with ESRD	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
4	अतुल्य कुमार पिता- त्रिलोकी नाथ प्रसाद ग्राम- शिव बाजार पो०- भगवान बाजार थाना- भगवान बाजार जिला- सारण सीआर न०- 2022236292	Stogs 2 HPS Repair	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

5	प्राभेद कुडर डरतल- सुरेंदुर डगत गुररड- डनरडर डगवरनडुर डुु- डकुरडदरस थरनर- सरैडर ऑरलर- डुऑडडडरडुर सीरर नु- 2025838078	NCPF	75,000	डडहतर हऑ स्वीकृत। वरशेष डरररररररर डे।
6	डुतुल देवी डरतल- दीडक कुडर गुररड- डडर डरऑरर कतरहरर डुु- कतरहरर थरनर- नगर ऑरलर- कतरहरर सीरर नु- 2018076461	हृदड रुरग सीएडीऑी	1,00,000	एक लरख स्वीकृत।
7	धीरऑ कुडर डुुधरी डरतल- गुरररऑर शकर डुुधरी गुररड- नुुआडक डुु- डगवतडुर थरनर- सररडरऑन ऑरलर- सडस्तीडुर सीरर नु- 2022486510	हृदड रुरग डीएमडी	50,000	डडरस हऑरर स्वीकृत।
8	ररऑीव रंऑन डरतल- ऑरगेशुवर डडल गुररड+डुु- सुुनुु थरनर- सुुनुु ऑरलर- ऑडुई सीरर नु- 2024485176	कैसर रुरग	1,00,000	एक लरख स्वीकृत।
9	खुशडु कुडररी डरतल- तररकेशुवर डुरसरद गुररड- नई डरऑरर डैरवर डुु+थरनर- डैरवर ऑरलर- सरवरन सीरर नु- 2022650386	Severe Aplastic Anemia	1,00,000	एक लरख स्वीकृत। वरशेष डरररररररर डे।
10	वरनुुद शरुडर डरतल- धीनलरल शरुडर गुररड- डरशुरुुली डुु- हडीडनगर थरनर- हुरुसैनगऑ ऑरलर- सरवरन सीरर नु- 2025996265	हृदड रुरग डेसडेकर	1,00,000	एक लरख स्वीकृत।
11	डुनुुी कुडररी डरतल- दीडक कुडर गुररड- गुरुुधी नगर डुु+थरनर- घुुडरसरहन ऑरलर- डुरुुी डडुडररण सीरर नु- 2025668600	कैसर रुरग	1,80,000	एक लरख अरसुुी हऑरर स्वीकृत। वरशेष डररररररर डे।

12	कान्ति देवी पति- रघुशरण प्रसाद ग्राम+पो0- बादर जमीन थाना- भगवानपुर हाट जिला- सिवान सीआर नं0- 2025379870	Aplastic Anemia	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
13	प्रियका कुमारी पति- अर्जुन कुमार ग्राम- मथुरापुर मठगोपाल पो0- बथना थाना- पिपराकोठी जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 2025023187	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
14	प्रमिला देवी पति- वीरेन्द्र सिंह ग्राम- मैदानिया पो0- सेवतापुर थाना- मैरवा जिला- सिवान सीआर न0- 2022330952	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
15	ब्यूटी कुमारी पिता- राम नरेश सिंह ग्राम- पातलपुर पो0- माधोपुर थाना- शाहपुर जिला- पटना सीआर न0- 20241097410	Ankylosing Spondylitis	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
16	अनिल राय पिता- रामजीत राय ग्राम+पो0- भलुही थाना- मढौरा जिला- सारण सीआर न0- 2025134153	स्पाईनल सर्जरी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।
17	शाहनाज नसीमा पति- रऊफ ग्राम- काश वार्ड 11 पो0- जोगिया थाना- अरुण जिला- औरगाबाद सीआर न0- 2024701243	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
18	शेखर नाथ गुप्ता पिता- स्व0 सुरेद्र नाथ गुप्ता ग्राम- मिया पट्टी माझी पो0+थाना- मांझी जिला- सारण सीआर न0- 2013045883	कैसर रोग	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।

19	किरण पाण्डेय पति- कौशल किशोर पाण्डेय ग्राम- पियरपुरवा पो0- मिर्जापुर थाना- मढौरा जिला- सारण सीआर नं0- 2020293162	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
20	अकित कुमार पिता- सतोष विश्वकर्म ग्राम+पो0- भारे थाना- फतेहपुर जिला- गयाजी सीआर न0- 20251055508	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
21	सत्यम यादव पिता- भारत यादव ग्राम- सोनहुला चद्र भान पो0- ढेबवा थाना- गोपालपुर जिला- गोपालगज सीआर न0- 20251011316	ambiguous genitalia	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
22	सरोज मिश्रा पति- अजय कुमार मिश्रा ग्राम+पो0+थाना- सझौली जिला- रोहतास सीआर न0- 20251209310	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			22,85,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 22,85,000/- (बाईस लाख पचासी हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 002558 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10095237548 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 एम0 एस0 पी0ई0डी0 खाता" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम-एस0जी0पी0जी0आई0,RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा AIIMS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम-

“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 124(14)

पटना, दिनांक 16/11/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० ~~002856~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे ) / आई टी, मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीजो को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक, /अधीक्षक  
डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान  
संस्थान, गोमती नगर  
लखनउ -226010

पटना,दिनांक-

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 09.01.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	बबीता देवी पति- सुनील कुमार शर्मा ग्राम-पो०- हथौडा थाना- हुसैनगज जिला- सिवान	वृहत ब्रेन सर्जरी	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
			3,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000/- (तीन लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002556..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-6193000100005944, खाता धारक का नाम-MS DR.RMLIMS HOSPITAL ADMINISTRATION खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-पंजाब नेशनल बैंक, शाखा का नाम-विभूतिखण्ड, गोमती नगर, लखनऊ RTGS/IFSC कोड सं०-PUNB0619300 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना

आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 125(14)

पटना, दिनांक 16/11/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002556 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सभ संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,  
कल्याण सिंह सुपर स्पेशलीटी  
कैंसर इंस्टीच्युट,  
सीजी सी०टी० सुल्तानपुर रोड,  
लखनऊ-226002

पटना, दिनांक.....

विषय.- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.01.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	रबीना खातून पति- नोशाद अली ग्राम- बैशाली पो०- हरदिया थाना- सराय जिला- सिवान	कैंसर रोग	1,00,000 /	एक लाख स्वीकृत।
			₹ 1,00,000 /	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000 / (एक लाख) रूपया का क्रास चेक सं० 0025575 ..... मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय

अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 126(14)

पटना, दिनांक 16/1/2026

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
16/1/26  
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक  
सर सुन्दर लाल अस्पताल,  
इस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस  
वाराणसी -221005

पटना, दिनांक .. ...

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 09.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3		5
1	सागर कुमार पिता- महेद्र चौधरी ग्राम- महुआर खुर्द पो०- सोधी थाना- बुनियादगज जिला- गयाजी एमआरडी न०- 8017165	हृदय रोग एमभीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
2	इंद्र भूषण कुमार सिंह पिता- स्व० बीरेद्र कुमार सिंह ग्राम- ठेरा पो०- नेकपुर थाना- छबिलापुर जिला- नालदा एमआरडी न०- 7944754	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	श्रीनिवास पाडेय पिता- बैजनाथ पाडे ग्राम- सासाराम कैनाल रौजा रोड ग्रामीण बैंक कॉलोनी पो०+थाना- सासाराम जिला- रोहतास एमआरडी न०- 7644729	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	शराफत खान पिता- मकबूल खान ग्राम- पतेरी पो०- जमालपुर थाना- चाद जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी न०- 7927090	हृदय रोग पीटीसीए	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।

5	अशिका कुमारी पिता- सदीप सिंह ग्राम- बखरौर टोला गगवा पो0+थाना- सिधवलिया जिला- गोपालगज एमआरडी नं0- 7592774	Variant Turner Syndrome	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
6	केशव पांडेय पिता- रामेश्वर पांडेय ग्राम- पिडरा पो0- पिपरा थाना- सहाजितपुर जिला- सारण एमआरडी न0- 8031645	हृदय रोग पीटीसीए	1,35,000	एक लाख पैतीस हजार स्वीकृत।
7	शिवम कुमार सिंह पिता- धर्मेन्द्र चौहान ग्राम- नौवां पो0- दैधन थाना- दिनारा जिला- रोहतास एमआरडी नं0- 7325351	Padiatric Surgery	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
8	तेज नारायण यादव पिता- कुमार यादव ग्राम- बलिहार पो0- दुल्लहपुर थाना- सिमरी जिला- बक्सर एमआरडी न0- 7722731	Dystonia	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
9	राधिका देवी पति- रतन कुमार ग्राम+पो0- जिगना थाना- सिकरौल जिला- बक्सर एमआरडी नं0- 802213	Old left Putoiminal bleed conservative	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
10	डोली कुमारी पिता- रमेश कुमार चौहान ग्राम- करैला पो0+थाना- धनसोई जिला- बक्सर एमआरडी नं0- 8016379	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			₹ 10,70,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,70,000/- (दस लाख सत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं 002556 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं 27790100039150 खाता धारक का नाम- Other-Paitent Relief Fund BHU, खाते का

- प्रकार—चालु, बैंक का नाम— **Bank of Baroda**, शाखा का नाम— **BHU, Varanasi**, RTGS/IFSC कोड स0 BARB0BHUVAR मे अतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- 5 चिकित्सा AIIMS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- 6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 127(14)

पटना, दिनांक 16/11/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 002556 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आईटी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14 / एम 11-01 / 2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक  
एपेक्स अस्पताल प्रा० लि०  
डी०एल० डबलु हाईडिल रोड,  
वाराणसी। 221004

पटना, दिनांक.

विषय— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।  
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रवीन्द्र राय पिता— विद्यानंद राय ग्राम— रसौती पो०— धरहरा मेला थाना— कटेया जिला— गोपालगज	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	अजय कुमार पिता— अयोध्या पाठक ग्राम— सावन बहार पो०— बडकी अकोढि थाना— बडहरी जिला— रोहतास	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			<b>₹ 1,60,000</b>	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 1,60,000** /—(एक लाख साठ हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता स०— 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002556 .. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स०—**36180579026**, खाता धारक का नाम— **APEX WELCARE PVT, LTD** खाते का प्रकार— , बैंक का नाम— **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया**, शाखा का नाम— **SPECIALISED COMMERCIAL BRANCH JAIL ROAD VARANASI** RTGS/IFSC कोड स०—**SBIN0009252** में अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त “बिहार लोक माग वसुली अधिनियम” के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करना सुनिश्चित किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 128(14)

पटना, दिनांक 16/11/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०...002556 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) आईटी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,  
होमी भाभा कैंसर अस्पताल  
घंटी मिल रोड, लहरतारा,  
ओल्ड लोको कालोनी, शिवपुरवा  
वाराणसी 221002

पटना, दिनाक...

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.01.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मजू देवी पति- अजय कुमार मिश्रा ग्राम- महुअवा पो०- सोहनरिया थाना- कटेया जिला- गोपालगज केस फाईल न०-18एफ2025/020968	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	तारा देवी पति- महेद्र सिंह ग्राम- सिझुआ खुर्द पो०- ऊपरी थाना- रामगढ जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल न०-18एफ2025/019315	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	कौशल्या देवी पति- राजिद्र सिंह ग्राम- बहुआरा पो०- पिपरा थाना- करगहर जिला- रोहतास केस फाईल न०-18एफ2025/020995	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	मास्टर आशिक कुमार पिता- राजेश राम ग्राम+पो०- गौसनगर थाना- महिन्दवारा जिला- सीतामढी केस फाईल न०-19एफ2025/006360	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	बिरेन्द्र सिंह पिता- स्व0 परसन सिंह ग्राम- जलालपुर पो0- नेचुआ जलालपुर थाना- कुचायकोट जिला- गोपालगज केस फाईल न0-18एफ2024/012711	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत
6	रविकात सिंह पिता- सतोष सिंह ग्राम- बालापुर पो0- सदरपुर थाना- बडहरिया जिला- सिवान केस फाईल नं0 16एफ2025/002108	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	उषा देवी पति- शमशेर पाल ग्राम- अकोढी पो0+थाना- रामगढ जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल न0-18एफ2025/001624	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	रजिया खातून पति- मुस्तकीम खान ग्राम+पो0- रूपौ थाना- रूपो जिला- नवादा केस फाईल न0-18एफ2025/000685	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	हसीना खातून पति- बदरुद्दीन मसुरी ग्राम- हरिहरपुर पो0- रूदलपुर थाना- भोरे जिला- गोपालगज केस फाईल न0-18एफ2025/019660	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	दुर्गेश मिश्रा पिता- सूर्यभान मिश्रा ग्राम- चुपचुपवा पो0+थाना- मैरवा जिला- सिवान केस फाईल न0-18एफ2025/011866	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
11	श्री राम सिंह पिता- स्व0 शिव पूजन सिंह ग्राम- बाराडीह पो0- महुआरी थाना- कोचस जिला- रोहतास केस फाईल नं0-16एफ2025/002164	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

12	मदन प्रसाद पिता- वशराज चौरसिया ग्राम+पो0+थाना- कुदरा जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल न0-11एफ2023 / 039216	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
13	अभिषेक कुमार पिता- आनद कुमार ग्राम+पो0+थाना- डोभी जिला- गयाजी केस फाईल न0-18एफ2024 / 017700	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
14	नज्मुद्दीन खान पिता- मोइजुद्दीन खान ग्राम- गम्हरिया पो0+थाना- डोभी जिला- गयाजी केस फाईल न0-18एफ2025 / 020768	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
15	अशिका कुमारी पिता- चितरजन यादव ग्राम- बतरोलिया पो0- बाजितपुर थाना- पारु जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0-19एफ2025 / 001604	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	तेजनारायण सिंह परमा सिंह पिता- परमा सिंह ग्राम+पो0- नेकनाम टोला थाना- बडहरा जिला- भोजपुर केस फाईल न0-16एफ2025 / 000973	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
17	उपेद्र यादव पिता- माणिक लाल यादव ग्राम- रघुनाथपुर भरगामा पो0+थाना- भरगामा जिला- अररिया केस फाईल न0-18एफ2025 / 015338	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
18	अमित कुमार सिंह पिता- वीरेद्र सिंह ग्राम+पो0- शामकौरिया थाना- इसुआपुर जिला- सारण केस फाईल न0-18एफ2025 / 005544	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
19	मिथिलेश ठाकुर पिता- छत्रधारी ठाकुर ग्राम+पो0- बनकट्टा थाना- बेनीपट्टी जिला- मधुबनी केस फाईल न0-18एफ2025 / 021127	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

20	सगीता देवी पति- राजेश सिंह ग्राम- धरमबारी पो0- सफियाबाद थाना- बैकुठपुर जिला- गोपालगंज केस फाईल नं0-16एफ2025/002395	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत
21	मदन सिंह पिता- स्व0 राजा राम सिंह ग्राम+पो0- हरपुर थाना- राजपुर जिला- बक्सर केस फाईल नं0-18एफ2025/017354	कैसर रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
22	रणजीत सिंह पिता- स्व0 दीनानाथ सिंह ग्राम- दनियालपुर कुरई पो0+थाना- मोहनिया जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल न0- केई/50040	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
23	रोहन कुमार पिता- चदेश्वर यादव ग्राम+पो0- रामचन्द्रपुर थाना- थावे जिला- गोपालगंज केस फाईल न0-16एफ2025/002269	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
24	सगीता देवी पति- राजेश कुमार ठाकुर ग्राम- छोटकी बभनी पो0- मोचारिम थाना- मगध युनिवर्सिटी जिला- गयाजी केस फाईल न0-18एफ2025/018072	कैसर रोग	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
25	सीमा देवी पति- रतन कुमार ग्राम- भगत चौकी पो0- नौवागढी थाना- मुफसिल जिला- मुगेर केस फाईल न0-18एफ2025/007107	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
26	पूनम देवी पति- कमलेश कुमार ग्राम- लक्ष्मीपुर आदर ढाला पो0- सिवान थाना- नगर जिला- सिवान केस फाईल न0-18एफ2025/014503	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

27	बीरेद्र कुमार पिता- हरगोविंद प्रसाद सिंह ग्राम+पो0- रेवासी थाना- रिगा जिला- सीतामढी केस फाईल न0- केई/17468	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
28	रामावती देवी पति- रामचंद्र प्रसाद ग्राम- बलरा पो0- हसनपुर मठिया थाना- सिधवलिया जिला- गोपालगज केस फाईल न0-18एफ2025/013828	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
29	ओम प्रकाश कुमार पिता- कृष्णा सिंह ग्राम- इचाई पो0+थाना- टनकुप्पा जिला- गयाजी केस फाईल न0- केई/50198	कैसर रोग	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
30	नेहा कुमारी पति- दीपक कुमार सिंह ग्राम+पो0- डेढगाव थाना- दावत जिला- रोहतास केस फाईल न0-18एफ2025/000516	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
31	सरस्वती देवी पति- अशोक कुमार ग्राम- ब्रह्मपुर पो0- छपरा थाना- भगवान बाजार जिला- सारण केस फाईल न0- सीएस/35229	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
32	मास्टर सत्याशु कुमार ओझा पति- स्व0 विजय सकर ओझा ग्राम+पो0- हुस्सेपुर थाना- एकमा जिला- सारण केस फाईल न0-16एफ2025/001449	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
33	राजेश प्रसाद पिता- जगदीश प्रसाद ग्राम- हरी जी का हटा डुमराव पो0+थाना- डुमराव जिला- बक्सर केस फाईल न0-18एफ2025/002185	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

34	जवाहर लाल पिता-स्व० शिवानंद मडल ग्राम-नारयणपुर पोस्ट-छतियौना थाना-रानीगज जिला-अररिया केस फाइल न०-18एफ2024 / 021018	कैंसर रोग	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। वि० परिस्थिति में।
			36,30,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 36,30,000/- (छत्तीस लाख तीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 001-556 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 3675632747 खाता धारक का नाम- होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, वाराणसी, खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम- Tata Memorial Cancer (TMC) Hospital, Varanasi, RTGS/IFSC कोड सं० CBIN 0285166 में अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सवधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- 5 चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- 6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 12-9 (14)

पटना, दिनाक- 16/11/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 002556 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख  
16/11/26

स० स० 14 / एम 11-01 / 2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक

Care Hospital Care Treatment Centre (P) Ltd.,  
Bhikharipur, B.L.W., Sunderpur Road,  
Varanasi - 221004

पटना, दिनांक . . . . .

विषय- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" के प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.01.2026 की बैठक में नर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में।
1	2	3	4	5
1	गिरही चौधरी पिता- टेगरी चौधरी ग्राम+पो०- अगरेर कला थाना- सूर्यपुरा जिला- रोहतास	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	सुरेश प्रसाद पिता- स्व० शिव लोचन साह ग्राम- पच्छिम पटी नोखा पो०+थाना- नोखा जिला- रोहतास	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	सदीप कुमार पिता- रामधनी सिंह ग्राम- चौरी पो०- गेहुआ थाना- चाद जिला- कैमूर भभुआ	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			3,00,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000/- (तीन लाख) रू० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 0.0.6556. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 21040638381, खाता धारक का नाम- Care Treatment Center Pvt Ltd., खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- INDIAN BANK, शाखा का नाम- Bhikharipur, Varanasi, RTGS/IFSC कोड सं० IDIB000B874 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 130(14)

पटना, दिनांक 16/11/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०...002556... की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीज के सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
16/11/26  
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक  
गंगा सेवा सदन हॉस्पिटल,  
चाँदपुर चौराहा (कलेक्ट्री फार्म),  
बनारस बीड्स के पास,  
वाराणसी-221106

पटना, दिनांक .. . . .

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 09.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है.-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3		5
1	किरण देवी पति- सुरेद्र रबिदास ग्राम- नदरपुर पो०- पतलूका थाना- बाराचट्टी जिला- गयाजी	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	आरती कुमारी पिता- अनिल विश्वकर्मा ग्राम- पनकरा पो०- आदरचक थाना- डुमरिया जिला- गयाजी	कोकलियर इम्प्लांट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत।
3	ममता देवी पति- राम कुमार सिंह ग्राम- सुअरा पो०- पहलेजा थाना- डेहरी जिला- रोहतास	कोकलियर इम्प्लांट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत।
4	विनायक ओझा पिता- हरिनाथ ओझा ग्राम- ओझा बीघा पो०- पहलेजा थाना- डालमियानगर जिला- रोहतास	हृदय रोग एमभीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	प्रमिला देवी पति- मनोज कुमार साह ग्राम- जहानाबाद कुदरा पो0+थाना- कुदरा जिला- कैमूर भभुआ	हृदय रोग एभीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			₹ 10,80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,80,000/- (दस लाख अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002556 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 60515973070, खाता धारक का नाम- GANGA SEWA SADAN HOSPITAL, खाते का प्रकार- CURRENT ACCOUNT, बैंक का नाम- BANK OF MAHARASHTRA, शाखा का नाम- VARANASI, RTGS/IFSC कोड सं0- MAHB0001290 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

13/1/14

पटना, दिनांक

16/1/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 002556...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/1/26  
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक  
**Indra Hospital**  
**Super Multi Speciality Hospital Pvt. Ltd.,**  
**Akhari Bypass, N.H.-2 Road,**  
**Varanasi 221011**

पटना, दिनांक . . . . .

विषय.— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक— **09.01.2026** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सरस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है—

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3		5
1	शाफिया बेगम पति— नौशाद राईन ग्राम— महँगी लाल गली पो०— डिहरी थाना— डेहरी जिला— रोहतास	कोकलियर इम्प्लांट	3,50,000	तीन लाख पचास हजार स्वीकृत।
			₹ 3,50,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,50,000/- (तीन लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके सरस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002556.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरस्थान/अस्पताल के खाता सं० 701720110000018, खाता धारक का नाम— **INDRA HOSPITAL**, खाते का प्रकार—, बैंक का नाम— **BANK OF INDIA**, शाखा का नाम— **AKHARI, VARANASI**, RTGS/IFSC कोड सं०— **BKID0007017** में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना

आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

- 5 चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- 6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- 7 आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 132(14)

पटना, दिनांक 16/11/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002556 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

सं० सो 14 / एम 11-01 / 2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
टाटा स्मारक अस्पताल,  
परेल, मुम्बई -400012

पटना, दिनांक. ....

विषय - "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.01.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रविरजन कुमार सिंह पिता- दीपक कुमार सिंह ग्राम- भोजहा पो०- मटिया थाना- बरहट जिला- जमुई केस फाईल नं०- सीपी/41577	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	दिनेश प्रसाद पिता- बालगोविन्द महतो ग्राम- धरहरा पो०- बरनौसा थाना- वेन जिला- नालदा केस फाईल न०- 11एफ2025/019185	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
3	शीला देवी पति- शभू सिंह ग्राम- डवर छपरा पो०- परशुरामपुर थाना- अमनौर जिला- सारण केस फाईल न०- 11एफ2025/020354	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	सजय कुमार गुप्ता पिता- स्व० शिव कुमार साह ग्राम- जज बाजार बिहिया पो०+थाना- बिहिया जिला- भोजपुर केस फाईल न०- 11एफ2025/009376	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

5	दिलीप साव पिता- मानिकचद्र साव ग्राम+पो0- बरावाँ थाना- पाली जिला- जहानाबाद केस फाईल न0- सीआर/18256	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
6	निधि सिंह पिता- विजय किशोर सिंह ग्राम- शिव पथ दोपुलवा चांदपुर बेला पो0- जीपीओ थाना- जक्कनपुर जिला- पटना केस फाईल न0- सीवी/03967	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	उपेद्र कुमार मिश्रा पिता- श्री बैज नाथ मिश्रा ग्राम- कोइरी बिगहा पो0- दुसाध बिगहा थाना- कोच जिला- गयाजी केस फाईल नं0- 11एफ2024/026409	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	लक्ष्मी देवी पति- कमलेश सिंह ग्राम- रेवरा पो0- बौरी थाना- साहपुर जिला- नवादा केस फाईल नं0- 11एफ2025/032908	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			5,80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,80,000/- (पाँच लाख अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान /अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 002556 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 1002449683 खाता धारक का नाम- टाटा स्मारक अस्पताल परेल मुम्बई, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम- टी0एम0एच0, RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0284241 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय

अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्योरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 133(14)

पटना, दिनांक 16/1/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002556 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,  
क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज  
आई०डी०ए०, स्कुडर रोड  
पी० बी० न०-3, भेल्लोर-632004

पटना, दिनांक

विषय- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.01.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मनीता कुमारी माता- लालती देवी ग्राम- मुजफ्फरपुर पो०- कथौली थाना- नूरसराय जिला- नालदा सीएमसी न०- एके 55441	बोन मैरो ट्रांसप्लाट	5,00,000	पाँच लाख स्वीकृत।
2	मास्टर रितिक रोशन पिता- पिन्दु कुमार ग्राम- भरेली पो०+थाना- पोठिया जिला- कटिहार सीएमसी न०- एके 49936	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	पवन कुमार राम पिता- विश्वनाथ राम ग्राम- मनियारचक पो०- पीरी बाजार थाना- पीरी बाजार जिला- लखीसराय सीएमसी न०- 848337 जी	कैसर रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत।
4	अंकित कुमार पिता- हरिद्वार प्रसाद ग्राम- पेश पो०+थाना- नारदीगज जिला- नवादा सीएमसी न०- एआई 52615	Peripheral Angioplasty	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

5	जिलेबी देवी पति- अर्जुन पासवान ग्राम+पो0- मथुरापुर थाना- लछुआड जिला- जमुई सीएमसी न0- एजे 96379	स्पाईन सर्जरी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
6	टुनटुन साह पिता- राज नारायण साह ग्राम+पो0- बेलवर थाना- बेलसर जिला- वैशाली सीएमसी नं0- एजे 48031	ब्रेन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	अनिल कुमार सिंह पिता- भगवत प्रसाद सिंह ग्राम- भुसिया पो0- रजौन थाना- रजौन जिला- बाका सीएमसी न0- एएफ03399	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	राजेश पासवान पिता- रामचद्र पासवान ग्राम+पो0- सिमुआरा थाना- टिकारी जिला- गयाजी सीएमसी न0- एएफ 14106	बोन मैरो ट्रासप्लाट	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
9	विनोद कुमार जायसवाल पिता- राम आँटर जायसवाल ग्राम- कन्यारी पो0- धिरा थाना- हलसी जिला- लखीसराय सीएमसी न0- एएच 91767	बोन मैरो ट्रासप्लाट	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
10	सरिता देवी पति- राजेन्द्र यादव ग्राम- कन्यारी पो0- धीरा थाना- हलसी जिला- लखीसराय सीएमसी नं0- एजे 35502	बोन मैरो ट्रासप्लाट	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
11	अजय राय पिता- धन बहादुर राय ग्राम-पो0- छबैल थाना- कौवाकोल जिला- नवादा सीएनए न0- 956055 पी	बोन मैरो ट्रासप्लाट	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।

12	सतोष कुमार सोनी पिता- छोटे लाल ग्राम- तरी मोहल्ला आरा पो0- चौक आरा थाना- आरा नगर जिला- भोजपुर सीएमसी न0- एके 92735	ब्रेन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
13	शाहदा खातून पति- मो0 इब्रार खान ग्राम- कोलौना पो0- चेरकी थाना- गुरुआ जिला- गयाजी सीएमसी न0- 482767 पी	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	किरण देवी पति- दीपक कुमार ग्राम- महाबीरगज पो0- परता थाना- अम्बा जिला- औरंगाबाद सीएमसी नं0- एजी 01513	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			25,40,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 25,40,000/- (पच्चीस लाख चालीस हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002556 .....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-36889551846, खाता धारक का नाम- C.M.C.VelloreAssociation, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एस0बी0आई0, शाखा का नाम-भेल्लोर, टाउन ब्रांच (1618), RTGS/IFSC कोड सं0-SBIN 0001618 में अंतरित किया जाता।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम/अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त'बिहार लोक माग वसुली अधिनियम' के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा

चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।

7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

8. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह० /-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 134(14)

पटना, दिनांक 16/1/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002556 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख  
16/1/26